कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / 247 / अजिंद / 2021　　　　　　　　　　　भोपाल,दिनांक 12 / 04 / 2021

/ / आदेश / /

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

पिछले कुछ समय से भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्वि हो रही है इस संदर्भ में समय–समय पर अनेक कदम इसको नियंत्रित करने के लिए उठाए गए है,किन्तु फिर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। **इस संदर्भ में भोपाल जिले में अनेक सामाजिक / राजनीतिक / धार्मिक संगठनो द्वारा भी पत्र लिखकर कड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाने के लिए अनुरोध किया है।** अतः इसी कड़ी में अन्य प्रतिबंधात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया है, ताकि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सके व कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके। इसी कड़ी में जिला काइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग दिनॉक 12.04.2021 में लिए गए निर्णय उपरांत मै, **अविनाश लवानिया,कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला भोपाल** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू लागू करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

(अ)– भोपाल नगर निगम व बैरसिया नगर पालिका में आज दिनॉक 12.04.2021 को रात 09.00 बजे से सोमवार दिनॉक 19.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कफर्यू रहेगा । उपरोक्तानुसार समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठांन बंद रहेगे एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

कोरोना कफर्यू के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को छूट रहेगी।

1– अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का अवागमन।

2– अस्पताल, नर्सिग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।

3– केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल घर पहुँच सेवा / होम डिलीवरी), पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकाने तथा ठेले (हाट बाजार छोड़कर)।

4– औधोगिक मजदूरो, उद्योग हेतु कच्चा / तैयार माल, उद्योग के अधिकारियो / कर्मचारियों का आवागमन।

5– एम्बूलेन्स, फायर ब्रिगेड, टेली–कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेबरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण / वितरण के लिये परिवहन ।

6– सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।

7– केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानिय निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।

8– इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन।

9– कन्स्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्स्ट्रक्शन / परिसर में रूके हों)

10– कृषि संबंधी सेवायें (जैसे उपार्जन, खाद, बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि)

11– परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण।

12– अस्पताल / नर्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी।

13– राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुडे कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु।

14– बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने–जाने वाले नागरिक।

15– आईटी कम्पनियों, बीपीओ/मोबाईल कम्पनियों का सपोट यूनिट्स।
16– अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।
17– होटल (केवल इन–रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा,अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा । रात्रि कर्फ्यू एवं अन्य समय–समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत लागू रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 12.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला भोपाल

248

पृष्ठांकन कमांक/ 248 /अजिंद/2021 भोपाल, दिनांक 12/04/2021

प्रतिलिपि : – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल।
2– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल ज़ोन भोपाल।
3– उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज, भोपाल।
4– आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल।
5– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम/समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।
6– समस्त पुलिस अधीक्षक/समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/समस्त थाना प्रभारी भोपाल।
7– केन्द्र निदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
8– उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल ।
9– प्रभारी अधिकारी,पुलिस नियंत्रण कक्ष,जहॉगीराबाद भोपाल।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला भोपाल